प्रेस नोट

थाना गजरौला

कूटरचित दस्तावेज/फर्जी पता दर्शा कर बनवाये गये 02 फर्जी गन लाइसेंस बनवाने वाले अभियुक्त को थाना गजरौला पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है।

आज दिनांक 12.05.2024 को थाना गजरौला पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि सतनाम उर्फ सत्ता पुत्र स्व0 रविन्द्र सिंह जो मूल रूप से ग्राम पौरखास थाना गजरौला का रहने वाला है एवं वर्तमान समय मे एकता नगर कालोनी थाना कोतवाली पीलीभीत मे रह रहा है, इसके पास एक डी.बी.बी.एल गन व एक रिवाल्वर/पिस्टल का लाइसेंन्स है, दोनों लाइसेन्स कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी पते ग्राम प्रसादपुर थाना क्षेत्र सेहरामऊ उत्तरी तत्कालीन जनपद शाहजहांपुर से बनवाये गये हैं। इसी क्रम में थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा एकता नगर कालोनी थाना कोतवाली पीलीभीत में जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि मुखबिर की सूचना सही है । सतनाम सिंह उर्फ सत्ता के द्वारा निर्गत कराये गये उपरोक्त दोनों लाइसेंसो के सम्बन्ध में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत आयुध कार्यालय आकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि सतनाम सिंह उर्फ सत्ता उपरोक्त के पास दो शस्त्र लाइसेन्स जिसमें एक लाइसेंस नम्बर 3460 डी.बी.बी.एल. गन 12 बोर, गन नम्बर 13288 व यू.आई.एन नम्बर 330171001401392018 तथा दूसरा लाइसेंस नम्बर 3461 एन.पी.बी. रिवाल्वर/पिस्टल .32 बोर रिवाल्वर नं0-1802-06812-32 तथा यूआईएन नम्बर 330171001422122018 जिसका पंजीकरण शस्त्र लाइसेंस संख्या 46/2019 एवं पंजीकरण शस्त्र लाइसेंस संख्या 56ए/2019 शस्त्र लाइसेंस है। अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि उक्त दोनो शस्त्र लाइसेंन्स वर्ष 2007 मे ग्राम प्रसादपुर थाना क्षेत्र सेहरामऊ उत्तरी तत्कालीन जनपद शाहजहांपुर से बने हैं। इस सम्बन्ध मे ग्राम प्रसादपुर आकर ग्राम वासियों से जानकारी की गयी तो ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रसादपुर में कभी सतनाम उर्फ सत्ता पुत्र रविन्दर सिंह नहीं रहा था। सतनाम सिंह उर्फ सत्ता उपरोक्त द्वारा उक्त दोनों लाइसेंस सन् 2007 में अपना आवासीय पता ग्राम प्रसादपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी तत्कालीन जनपद शाहजहांपुर दर्शाकर आवेदन कर निर्गत कराये गये थे तथा वर्ष 2018 में सतनाम सिंह उर्फ सत्ता द्वारा अपना पता एकता नगर कालॉनी थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत अंकित करके फर्जी प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर उक्त दोनों शस्त्र लाइसेंस में अपना पता एकता नगर कालॉनी थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत दर्ज

कराया गया था। अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध के आधार पर थाना गजरौला पर मु0अ0स0 - 152/24 धारा-420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सतनाम सिंह उर्फ सत्ता उपरोक्त को उसके घर ग्राम पौरखास से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जा रही है।

<u>अभियुक्त सतनाम सिंह उर्फ सत्ता पुत्र रविन्द्र सिंह का आपराधिक इतिहास-</u>

1- अ0सं0-550/06 धारा-307,506 भादवि थाना कोतवाली पीलीभीत।
2- अ0सं0-423/06 धारा- 452,352,323,506 भादवि थाना गजरौला पीलीभीत।
3- अ0सं0-382/07 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गजरौला पीलीभीत ।
4-अ0सं0-474/18 धारा-420,406 भादवि थाना सुनगढी पीलीभीत।
5-अ0सं0-534/18 धारा- 406,420,467,468,471,34 भादवि थाना सुनगढी पीलीभीत।
6- अ0सं0-319/18 धारा-420,467,468,471,506 भादवि थाना बरखेडा पीलीभीत।
7- अ0सं0-393/18 धारा-420,467,468,471 भादवि थाना बीसलपुर पीलीभीत।
8- अ0सं0-70/19 धारा-406,420,467,468,471,34 भादवि थाना सुनगढी पीलीभीत।
9- अ0सं0-37/20 धारा- 147,420,504,506 भादवि थाना कोतवाली पीलीभीत।
10- अ0स0-192/21 धारा-323,504,506 भादवि थाना कोतवाली पीलीभीत।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1.थानाध्यक्ष श्रीमती रूपा विष्ट
2. व0उ0नि0 श्री मो0 आरिफ
3.उ0नि0 श्री कमलेश सिंह
4. का0 हितेश तोमर
5. का0 रक्षित चौधरी